



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

(A Constitutional Body under Article 338 A of the Constitution of India)
6th Floor, 'B' Wing Loknayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003
Website : www.ncst.nic.in, Toll Free No.1800117777

Inviting Expression of Interest (EoI)

भारत की स्वंत्रता प्राप्ति के 75 वर्ष पूर्ण होने के महत्त्वपूर्ण अवसर पर "आजादी के अमृत महोत्सव" के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने देश के विभिन्न प्रदेशों में जनजाति सम्बंधित विषयों के सन्दर्भ में प्रसार माध्यमों तथा विभिन्न मीडिया के माध्यम से व्यापक स्तर पर प्रचार – प्रसार कर जागरूकता अभियान (Awareness Campaign) संचालित करने का निर्णय लिया है।

इस हेतु आयोग के संवैधानिक अधिकार, कर्तव्यों तथा कार्यों के विषयों पर Audio Visual Introductory Film निर्माण करना प्रस्तावित है।

विषय :- Audio- Visual Introductory Film

इस हेतु से उपरोक्त विषय पर अभिहस्तांकन करने के इच्छुक संस्थानों/संगठनों को अपनी रुचि की अभिव्यक्ति (EoI) अवर सचिव, एनसीएसटी, नई दिल्ली को us@ncst.nic.in दिनांक 28/02/2022, सायं 6:00 बजे तक जमा करनी होगी। दूरभाष संख्या :- 011-24657271

रुचि की अभिव्यक्ति (EoI) में कार्य का दायरा (Scope of Work), संदर्भ की शर्तें (ToR) सम्मिलित होनी चाहिए।